क.

सीएलपी इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.

गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. (2010 की सिविल अपील सं. 2793)

06 मई, 2020

[अरुण मिश्रा**,** वाइन सरन और एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.** जे**.]**

विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 -एस. 43 (ए)-गुजरात विद्युत बोर्ड (गुजरात ऊर्जा) ने सी. एल. पी. के साथ 03.02.1994 पर बिजली खरीद समझौता (पी. पी. ए.) किया-पी. पी. ए. के संदर्भ में, गुजरात ऊर्जा खरीद करने के लिए बाध्य था और सी. एल. पी. बिजली की आपूर्ति करने के लिए संबंधित दायित्व के तहत था-पी. पी. ए. से पहले, केंद्र सरकार ने 30.03.1992 पर अधिसूचना जारी की थी, जिसमें एक शर्त थी कि नाफ्था का उपयोग करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन का प्रावधान था-पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर करने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना (दिनांक 06.11.1995) में संशोधन करते हुए एक संशोधन अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि नाफ्था की उपलब्ध घोषणा पर किसी भी उत्पादक कंपनी को अब कोई मानित उत्पादन प्रोत्साहन देय नहीं होगा।14.09.2002 से पहले की अवधि के लिए वसूली को समय-बाधित माना गया था-एपीटीईएल ने जीईआरसी के आदेश को बरकरार रखा-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः30.03.1992 और 06.11.1995 दिनांकित दो अधिसूचनाएँ यू/एस द्वारा जारी की गई थीं।43(ए) विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की-सहमति से, ये अधिसूचनाएं वैधानिक हैं और पार्टियों पर बाध्यकारी हैं-एक उत्पादक कंपनी और बिजली के खरीदार के बीच कोई भी पी. पी. ए. ऐसी वैधानिक अधिसूचनाओं के अधीन है; समझौते द्वारा पार्टियां वैधानिक प्रावधानों, या ऐसी अधिसूचनाओं को ओवरराइड नहीं कर सकती हैं, जहां तक वे टैरिफ के मामलों से संबंधित हैं-इसलिए, ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

06.11.1995 पर संशोधित अधिसूचना एक वैधानिक थी और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी थी-संशोधन के माध्यम से इस वैधानिक निगमन का प्रभाव यह था कि प्रोत्साहन अब देय नहीं रहा-इसके अलावा, गुजरात ऊर्जा के आवेदन से पहले 3 साल की अवधि के लिए गणना योग्य प्रतिबंधित धनवापसी देने में GERC और APTEL के समवर्ती निष्कर्ष उचित हैं-इसलिए निचले अधिकारियों के निष्कर्ष सही हैं; किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 -धारा 43 (ए)-गुजरात विद्युत बोर्ड (गुजरात ऊर्जा) ने सी. एल. पी. के साथ 03.02.1994 पर बिजली खरीद समझौता (पी. पी. ए.) किया-पी. पी. ए. के संदर्भ में, गुजरात ऊर्जा खरीद के लिए बाध्य था और सी. एल. पी. बिजली की आपूर्ति के लिए संबंधित दायित्व के तहत था-05.12.2003 पर पक्षों के बीच एक पूरक समझौते को निष्पादित किया गया था-सी. एल. पी. ने कहा कि राशि,अर्थात रु। 53.90 करोड़ वास्तव में ऋण के रूप में देय था-यदि इसे ऋण के रूप में माना जाता था, तो ऋण की अवधि के दौरान मूल राशि के मानक पुनर्भुगतान के आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता था, यानी ऋण स्थिर नहीं रहेगा-गुजरात ऊर्जा ने इस दावे का विरोध किया-जीईआरसी ने पूरक समझौते में खंड के एक सादे पठन पर सीएलपी के तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि समझौते में भी रु। सी. एल. पी. लिमिटेड जी. ई. आर. सी. के आदेश के उस हिस्से से व्यथित था जिसने 2003 की अवधि से पहले मानित ऋण घटक पर अपने दावे को खारिज कर दिया था-ए. पी. टी. ई. एल. ने जी. ई. आर. सी. के फैसले से सहमति व्यक्त की-अपील पर कहा गया कि इस तरह की मान्यता के लिए प्रभावी तारीख आई. डी. 1 से आई. डी. 2 तक थी और उस तारीख के बाद ब्याज के रूप में कोई राशि देय और देय नहीं थी-इसमें पिछली अवधि के लिए गुजरात ऊर्जा की ओर से कोई दायित्व शामिल नहीं था, यानी दिसंबर 1997-सी. एल. पी. लिमिटेड जी. ई. आर. सी. के आदेश के उस हिस्से से व्यथित था जिसने 2003 की अवधि से पहले मानित ऋण घटक पर अपने दावे को खारिज कर दिया था।दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट समझौता था कि रुपये की राशि पर ब्याज। 53.90 करोड़ का भुगतान निर्दिष्ट अवधि 01.07.2003 से 31.12.2009 के लिए देय था-इसलिए, सी. एल. पी. का दावा कि कोई भी राशि देय थी, 01.07.2003 से पहले की किसी भी अवधि के लिए, मान्य नहीं था-अगर सी. एल. पी. ने ऐसा चाहा होता, तो बातचीत के दौरान इसे इसके लिए दावा करने से कुछ भी नहीं रोकता था और इसे अनुबंध की अवधि के रूप में शामिल किया जाता था-एक बार एक निर्दिष्ट राशि के लिए समझौता करने के बाद, रु. 53.90 करोड़ जो केवल काल्पनिक रूप से एक ऋण था-और देय ब्याज तय करने के उद्देश्य से, शुल्क नियमों से अधिक, किसी भी समान वस्तु की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस तरह से माना जाता है,

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

क.

जैसे कि पूर्व अवधि के लिए ब्याज, एक दावे को रोकता है-इसलिए निचले अधिकारियों के निष्कर्ष ठोस और उचित हैं।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.** पार्टियों के प्रस्तुतिकरण दो अधिसूचनाओं दिनांकित **30.03.1992** और **06.11.1995** के संबंध में हैं।ये अधिसूचनाएँ आपूर्ति अधिनियम की धारा **43 (**ए**)** के तहत थीं। माना जा सकता है कि ये अधिसूचनाएं वैधानिक हैं और पार्टियों के लिए बाध्यकारी हैं।बिजली पैदा करने वाली कंपनी और बिजली के खरीदार के बीच कोई भी पी**.** पी**.** ए**.** ऐसी वैधानिक अधिसूचनाओं के अधीन है**;** पक्ष समझौते द्वारा वैधानिक प्रावधानों**,** या ऐसी अधिसूचनाओं को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं**,** जहां तक वे टैरिफ के मामलों से संबंधित हैं।इसलिए**,** पी**.** पी**.** ए**.** के तहत पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को वैधानिक प्रावधानों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए।पी**.** पी**.** ए**.** के प्रावधान**,** यदि वे वैधानिक प्रावधानों के विपरीत हैं**,** तो उन्हें प्रभावी नहीं किया जा सकता है।**[**पारस **19** और **20] [611-**डी**-**एफ**]2.** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि **06.11.1995** पर संशोधित अधिसूचना एक वैधानिक थी**,** इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह पक्षों पर बाध्यकारी थी।इसलिए**,** पहले की अधिसूचना**,** जिसने पक्षों को देय प्रोत्साहन सहित विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था**,** को नोट **2** द्वारा संशोधित किया गया**,** जिसे शुल्क के खंड **1.6** में जोड़ा गया था।संशोधन के माध्यम से इस वैधानिक निगमन का प्रभाव यह था कि प्रोत्साहन अब देय नहीं रहा।सी**.** एल**.** पी**.** की दलीलें**,** अदालत की राय में**,** कि पक्ष

केवल समझौते की शर्तों से बाध्य थे और संशोधन अधिसूचना संभावित होने के कारण, शुल्क की शर्तों, विशेष रूप से देय प्रोत्साहन में बदलाव नहीं कर सकते थे, अवास्तविक हैं और इसका कोई बल नहीं है।इसलिए, इस पहलू पर समवर्ती निष्कर्ष ठोस हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।इसी तरह, कानून के प्रावधान में बदलाव (पी. पी. ए. का खंड **6.5)** में स्पष्ट रूप से विचार किया गया कि प्रचलित शुल्क अधिसूचना (दिनांक **30.03.1992)** में कोई भी संशोधन पक्षों को बाध्य करेगा।चूँकि टिप्पणी **(2)** एक संशोधन था, जो प्रोत्साहन के मुद्दे से संबंधित था, अब यह नहीं कहा जा सकता है कि यह लागू नहीं था।इसलिए, निचले अधिकारियों के निष्कर्ष सही हैं; किसी भी हस्तक्षेप को एफ या नहीं कहा जाता है।**[**पैरा **25] [614-**डी**-**एफ**; 615-**ए**-**बी**]** ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

सीएलपी इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड।

601

3. अगला सवाल यह है कि क्या जी. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. ने गुजरात ऊर्जा के आवेदन से पहले **3** साल की अवधि के लिए गणना योग्य प्रतिबंधित धनवापसी देने में गलती की।इस न्यायालय की राय में, इस पहलू पर सहमत निष्कर्ष उचित हैं।सी. पी. एल. के इस कथन में योग्यता है कि कार्रवाई का कारण सबसे पहले मई, **1996** में सामने आया था, जब गुजरात ऊर्जा ने **06.11.1995** की अधिसूचना के बावजूद, पी. पी. ए. के संदर्भ में प्रोत्साहन देय होने के उसके तर्क को खारिज कर दिया था।इस कथित स्थिति के बावजूद, बैठकें जारी रहीं और इसके अलावा, सी. एल. पी. को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी दस्तावेज़ में निर्णायक रूप से कहा गया है कि सी. एल. पी. के दावे को स्वीकार कर लिया गया था।इस न्यायालय को गुजरात ऊर्जा के इस कथन में कोई योग्यता नहीं मिली कि संचार की एक श्रृंखला के कारण इस मुद्दे को जीवित रखा गया था।इस संबंध में, सीमा अधिनियम की धारा **18** के अप्रयोज्य होने के बारे में ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष सही हैं।सी. एल. पी. की ओर से कम से कम इस तरह की कोई स्वीकारोक्ति नहीं थी, जिसने अतिरिक्त भुगतानों की वसूली के लिए आवेदन करने के लिए समय बढ़ाया।इस अदालत द्वारा लगातार यह फैसला दिया गया है कि बार-बार पत्र, या संचार का आदान-प्रदान, कानून द्वारा प्रदान की गई सीमा की अवधि को नहीं बढ़ाता है।**[**पैरा **26] [615-**बी**-**ई**]**

ग

डी.

4. तीसरा और अंतिम निर्गम डीम्ड इक्विटी पर ब्याज के भुगतान के संबंध में है।इस मामले में ऋण-इक्विटी अनुपात बाधित किया गया था; तदनुसार रु। **53. 9** करोड़ रुपये के ऋण को "मानित" या मानक ऋण के रूप में माना गया था, जिसके लिए पार्टियों को शुल्क अधिसूचना के अनुसार देय ब्याज की दर पर सहमत होना था।इन घटनाक्रमों के आलोक में ही पूरक समझौता किया गया था।**[**पैरा **28] [616-**बी**]5.** यह स्पष्ट है कि पक्षों को उस अवधि के बारे में कोई संदेह नहीं था जिसके लिए ऐसे मानित ऋण पर निर्दिष्ट ब्याज देय था।ब्याज की दर तय की गई थी; इसी तरह, जिस तारीख से भुगतान दायित्व उत्पन्न होने वाले थे, वह भी ज्ञात था।साथ ही, इस तरह के मानित ऋण भुगतान पर ब्याज की तारीख ज्ञात और तय की गई थी।इन परिस्थितियों में, सी. एल. पी. का यह दावा कि पूर्व अवधि के लिए ब्याज का भुगतान बकाया था, और गुजरात ऊर्जा का दायित्व था, निराधार है।हाल के एक फैसले में इसी तरह का एक मुद्दा था

ई.

च

जी.

एच.

602 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 6 एस. सी. आर.

क.

उभरा।अदालत ने नेशनल थर्मल में फैसले का हवाला दिया

पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाममध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

जहाँ एक अन्य पिछले निर्णय को इस मुद्दे पर अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था कि किसी समझौते में किसी चीज़ के लिए स्पष्ट प्रावधान का अर्थ था कि अन्य समान मामलों को बाहर रखा गया था।**[**पैरा **29] [616-**डी**-**एफ**]**

6. वर्तमान मामले में**,** पक्षों के बीच स्पष्ट समझौता था कि रुपये की राशि पर ब्याज। **53.90** करोड़ निर्दिष्ट अवधि **01.07.2003** से **31.12.2009** के लिए देय थे।इसलिए**,** सी**.** एल**.** पी**.** का दावा कि **01.07.2003** से पहले किसी भी अवधि के लिए कोई भी राशि देय थी**,** मान्य नहीं था।यदि सी**.** एल**.** पी**.** ने ऐसा चाहा होता**,** तो बातचीत के दौरान इसके लिए दावा करने और इसे अनुबंध की अवधि के रूप में शामिल करने से कुछ भी नहीं रोकता।एक बार एक निर्दिष्ट राशि के लिए निपटान करने के बाद**,** एक राशि **(**रु। **53.90** करोड़**)** जो केवल काल्पनिक रूप से एक ऋण था**-**और देय ब्याज तय करने के उद्देश्य से**,** शुल्क नियमों से अधिक निवेशित इक्विटी को देखते हुए**,** किसी भी समान वस्तु की अनुपस्थिति**,** जैसे कि पूर्व अवधि के लिए ब्याज**,** एक दावे को रोकता है।लेकिन यह वास्तव में इक्विटी घटक का हिस्सा था।इसलिए**,** ब्याज स्वयं देय नहीं था**,** लेकिन शुल्क अधिसूचना या समझौते के संदर्भ में भुगतान किया जा सकता था।किसी अन्य कानूनी या न्यायसंगत विचारों पर कोई दावा नहीं किया जा सकता था।इसलिए निचले अधिकारियों के निष्कर्ष ठोस और उचित हैं।**[**पैरा **31] [619-**ई**-**जी**]**

ग

डी.

ई.

इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड बनामएम**.** पी**.** और अन्य का राज्य। **(2000)**

3 एससीसी 379:[2000] 1 एस. सी. आर. 925; बिनानी जिंक लिमिटेड बनाम.

केरल राज्य विद्युत बोर्ड **(2009) 11** एस**.** सी**.** सी**. 244:[2009] 4** एस**.** सी**.** आर**. 636;** टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम**.**अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड और अन्य। **2019 (7)** स्केल **297:[2019] 6** एस**.** सी**.** आर**. 845;** दामोदर घाटी निगम बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य। **2018** में

च

(15) स्केल **451:[2018] 14** एस**.** सी**.** आर**. 433-**पर निर्भर।

हरि शंकर सिंघानिया बनाम गौर हरि सिंघानिया **(2006)**

जी.

4 एससीसी 658:[2006] 3 एस. सी. आर. 726; श्री राम मिल्स लिमिटेड बनाम.उपयोगिता परिसर लिमिटेड (2007) 4 एस. सी. सी. 599:[2007] 4 एससीआर

279; एस**.** एस**.** राठौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(1989)**

एससीसी 582:[1989] 1 पूरक।एस. सी. आर. 43; भारत संघ बनाम हर दयाल (2010) 1 एस. सी. सी. 394: [2009] 15 एससीआर 1126; ए

एच.

सी. एल. पी. इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड।

603

एस क्रूमबर्गर एशिया सर्विसेज लिमिटेड बनामतेल और प्राकृतिक गैस

निगम लिमिटेड (2013) 7 एस. सी. सी. 562; उत्तर हरियाणा

बिजली वितरण निगम लिमिटेड और ओआरएस. वी.अदानी पावर लिमिटेड और

ओआरएस। (2019) 5 एससीसी 325:[2019] 4 एससीआर 487; राष्ट्रीय

थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाममध्य प्रदेश

राज्य विद्युत बोर्ड (2011) 5 एस. सी. सी. 580:[2011] 11 एस. सी. आर. 651-संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

[2006] 3 एससीआर **726**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[2007] 4 एससीआर **279**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

ग

[2000] 1 एससीआर **925**

पर भरोसा किया

पैरा **23**

पर भरोसा किया

पैरा **23**

[2009] 4 एससीआर **636**

[2019] 6 एससीआर **845**

पर भरोसा किया

पैरा **23**

[1989] 1 पूरक।एससीआर **43**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

डी.

[2009] 15 एससीआर **1126**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

(2013) 7 एस**.** सी**.** सी**. 562**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

[2019] 4 एससीआर **487**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

[2011] 11 एससीआर **651**

ई.

[2018] 14 एससीआर **433**

पर भरोसा किया

पैरा **30**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2010 की सिविल अपील सं. 2793।

विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के 2009 के अपील संख्या 44 के निर्णय और आदेश से।

च

सह

सी. ए. नं. 2969/2010

सञ्जन पोवाया, सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता।, वी. मुखर्जी, पुखरंबम रमेश कुमार, सुश्री रवीना धमीजा, करुण शर्मा, अक्षत जैन, प्रति भानु, आनंद गणेशन, सुश्री हेमंतिका वाही, शुभम आर्य, सुश्री जेसल वाही, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री रोहिणी मूसा, अभिषेक गुप्ता, जफर इनायत, सुश्री रंजीता रामचंद्रन, सुश्री पूजा सिंह, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

जी.

एच.

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. वर्तमान निर्णय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत की गई दो अपीलों का निपटारा करेगा।गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (इसके बाद, "गुजरात ऊर्जा" या "जीयूवीएन") द्वारा एक अपील (सीए 2969/2010) को प्राथमिकता दी गई है; दूसरी (सीए 2793/2010) को सीएलपी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राथमिकता दी गई है। लिमिटेड (पूर्व में, गुजरात टोरेंट एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड; बाद में, गुजरात पगुथन एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक उत्पादन कंपनी, इसके बाद सामूहिक रूप से "सीएलपी")।दोनों अपीलें बिजली "एपीटीईएल" के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के एक सामान्य आदेश को चुनौती देती हैं)।

ग

2. पूर्ववर्ती गुजरात विद्युत बोर्ड (जी. ई. बी.) (अब "गुजरात ऊर्जा") ने 03.02.1994 पर सी. एल. पी. के साथ बिजली खरीद समझौता ("पी. पी. ए".) किया।पीपीए के संदर्भ में, गुजरात ऊर्जा 635 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए बाध्य था-और सीएलपी 635 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने के लिए संबंधित दायित्व के तहत था; समझौते की अवधि 20 साल थी। विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 (इसके बाद "अधिनियम") की धारा 43 (ए) के संदर्भ में, एक उत्पादक कंपनी विद्युत बोर्ड के साथ बिजली की बिक्री के लिए अनुबंध कर सकती है और बिजली की बिक्री के लिए शुल्क केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।इस मामले में पीपीए से पहले, केंद्र सरकार ने 30.03.1992 पर धारा 43 ए के तहत एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी द्वारा बिजली बोर्डों को बिजली की बिक्री के लिए शुल्क के निर्धारण के लिए नियंत्रण मानदंडों, नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट किया गया था।उन शर्तों में से एक नाफ्था का उपयोग करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन का प्रावधान था।17.01.1994 पर, 30.03.1992 दिनांकित अधिसूचना में एक संशोधन नोट (1) के लिए प्रदान किया गया था जिसमें कहा गया था कि निश्चित लागत वसूली के लिए 68.49% की लक्ष्य उपलब्धता से ऊपर उत्पादन के लिए प्रोत्साहन की सीमा तय की जानी थी।

डी.

ई.

च

3. पार्टियों के बीच पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर करने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना (दिनांक 30.03.1992) में संशोधन करते हुए दिनांक 06.11.1995 की एक संशोधन अधिसूचना जारी की गई थी।इसके द्वारा, केंद्र सरकार ने प्रावधान किया कि नाफ्था को ईंधन के रूप में उपलब्ध घोषित करने पर किसी भी उत्पादक कंपनी को कोई मानित उत्पादन प्रोत्साहन देय नहीं होगा।इस अधिसूचना के आधार पर, विद्युत बोर्ड ने यह दावा करते हुए उक्त अधिसूचना को लागू करने की मांग की कि यह उत्पादन करने वाली कंपनी मानित उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने की हकदार नहीं है।विद्युत बोर्ड ने सी. एल. पी., ए. को सूचित करते हुए 18.04.1996 दिनांकित एक पत्र भी भेजा।

जी.

एच.

कि इसने पी. पी. ए. के खंड 7.5.1 में इस आशय का संशोधन करने का प्रस्ताव किया है कि नाफ्था के संबंध में कोई भी मानित उत्पादन उत्पादन के स्तर से परे स्वीकार्य नहीं होगा।सी. एल. पी. प्रस्ताव से सहमत नहीं था और अपने दिनांकित 24.04.1996 के जवाब में कहा कि 06.11.1995 की अधिसूचना लागू नहीं थी।गुजरात ऊर्जा सी. एल. पी. के रुख से सहमत नहीं था और प्रोत्साहन शर्तों में बदलाव के बारे में अपनी पिछली स्थिति को दोहराया।06.10.1997 पर विभिन्न मुद्दों के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई, जिसके दौरान पार्टियों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए।हालाँकि, बैठक के कार्यवृत्त में दिनांकित 06.11.1995 अधिसूचना के संदर्भ में प्रतिबंधित प्रोत्साहन के मुद्दे पर कोई निर्णय दर्ज नहीं किया गया।कुछ और पत्राचार और बैठकें हुईं, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार करने के संबंध में कोई परिणाम नहीं निकला कि प्रोत्साहन नवंबर, 1995 की अधिसूचना के संदर्भ में देय था।अंततः, दिसंबर 1997 से, सी. एल. पी. ने गुजरात ऊर्जा को आपूर्ति की गई बिजली के लिए बिलिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें प्रोत्साहन भी शामिल था (संशोधन अधिसूचना को नजरअंदाज करते हुए); गुजरात ऊर्जा ने जून 1998 से 2000 तक मानित उत्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करना जारी रखा।

ग

डी.

4. केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने एक अधिसूचना (दिनांक 09.06.1998) जारी की, जिसमें परिचालन मानदंडों पर मुनाफे को स्पष्ट किया गया; स्टेशन गर्मी दर, सहायक खपत और द्वितीयक ईंधन की खपत जैसे कई घटकों को समाप्त कर दिया गया और प्रोत्साहन पर आयकर की अनुमति नहीं दी गई (शुल्क में पारित होने के रूप में)।यह कहा गया था कि यह संचालन में संभावित था और उन बिजली खरीद समझौतों पर लागू होगा जिन्हें 09.06.1998 द्वारा पार्टियों द्वारा निष्पादित और वितरित नहीं किया गया था।लंबे समय तक, गुजरात ऊर्जा द्वारा सी. एल. पी. को आई. डी. 1 की अधिसूचना को नजरअंदाज करते हुए प्रोत्साहन का भुगतान किया जाता रहा। आई. डी. 1 पर, सी. एल. पी. और गुजरात ऊर्जा ने शुल्क कम करने के लिए सी. एल. पी. द्वारा दी गई रियायतों को शामिल करने के लिए पी. पी. ए. में संशोधन करते हुए एक पूरक समझौता किया।दिनांक 1 के पूरक समझौते के निष्पादन के अनुसार, गुजरात ऊर्जा ने सी. एल. पी. को एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि सभी बकाया मुद्दे पूरी तरह से और अंत में हल हो गए।गुजरात ऊर्जा ने 05.12.2003 से 23.02.2005 तक मानित उत्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करना जारी रखा।फरवरी, 2005 में, मानित उत्पादन प्रोत्साहन के आधार पर किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली के मुद्दे की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था।उस समिति की रिपोर्ट की प्राप्ति के कारण गुजरात ऊर्जा ने गुजरात विद्युत नियामक आयोग (जी. ई. आर. सी.) के समक्ष अधिनियम की धारा 86 (1) (एफ) के तहत सी. एल. पी. (याचिका No.874 2006) से राशि की वसूली के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें 1997-98 से 2005-तक की अवधि के दौरान सी. एल. पी. को भुगतान किए गए मानित उत्पादन प्रोत्साहन की वसूली का दावा किया गया।06.

ई.

च

जी.

एच.

5. सी. एल. पी. ने गुजरात ऊर्जा के आवेदन का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि रोक के सिद्धांतों ने वसूली को रोक दिया; कि किसी भी घटना में, पक्ष पी. पी. ए. की शर्तों को बदलने के लिए सहमत नहीं थे और पिछले पत्राचार से पता चलता है कि मामला बंद कर दिया गया था, जिसका अर्थ था कि गुजरात ऊर्जा किसी भी तथाकथित अतिरिक्त राशि की वसूली का दावा नहीं कर सकता था।जी. ई. आर. सी. ने अपने आदेश में कहा कि नोट 2 (06.11.1995 की अधिसूचना द्वारा प्रस्तुत) परियोजना पर लागू था और इस प्रकार मानित उत्पादन प्रोत्साहन सी. एल. पी. को देय नहीं है। हालाँकि, इसने याचिका दायर करने की

तारीख से पहले केवल तीन साल की अवधि के लिए वसूली की अनुमति दी:14.09.2002 से पहले की अवधि के लिए वसूली को समय-बाधित माना गया था।

ग

6. सी. एल. पी. लिमिटेड की दूसरी अपील, यानी सी. ए. 2793/2010, ए. पी. टी. ई. एल. के विवादित आदेश पर सवाल उठाती है, जिसने मानित ऋण घटक पर ब्याज के लिए अपने दावे की अस्वीकृति को बरकरार रखा था।

7. जहाँ तक इस अपील का संबंध है, तथ्य यह है कि 05.12.2003 पर पक्षों के बीच एक पूरक समझौता निष्पादित किया गया था।पूरक समझौते के अनुच्छेद 4.6 के संदर्भ में, पी. पी. ए. के मूल खंड 03.02.1994 को प्रतिस्थापित किया गया था। सी. एल. पी. ने कहा कि राशि,अर्थात '53.90 करोड़ वास्तव में ऋण के रूप में देय थे।यदि इसे ऋण के रूप में माना जाता था, तो ऋण की अवधि के दौरान मूलधन राशि के मानक पुनर्भुगतान के आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता था, यानी ऋण स्थिर नहीं रहेगा।इस संबंध में, सी. एल. पी. ने अधिसूचना दिनांक 30.03.1992 2 के खंड 1.5 पर भरोसा किया था। अनुसूची VII खंड 7.5.10 द्वारा दिनांकित 03.02.1994 पीपीए ने निम्नलिखित शब्दों में "ऋण पूंजी पर ब्याज" को परिभाषित किया हैः

डी.

ई.

7.5.10:ऋण पूंजी पर ब्याज का अर्थ होगा बैंक शुल्कों के साथ ब्याज के सभी भुगतान और जी. टी. ई. सी. द्वारा भुगतान किए गए बकाया ऋणों पर बैंक को सालाना भुगतान की जाने वाली सभी संबद्ध वित्तपोषण लागतों का योग, जिसे लागू निश्चित शुल्क के लिए पखवाड़े के पहले दिन से परिवर्तित किया जाता है।

च

1 प्रतिस्थापित शब्द, अर्थात नया खंड 7.5.14 (a) इस प्रकार हैः

“इस पार्टी ने एक करोड़ रुपये की राशि वापस लेने का फैसला किया है। 53. 90 करोड़ रुपये "अपनी पूंजी" के रूप में पूंजीगत लागत और "अपनी पूंजी की लागत" के रूप में लागत के भुगतान के भत्ते को पूरा करने के लिए तैनात किए गए हैं, जो 1.7.2003 से और 31.12.2009 तक 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रभावी है।उक्त तिथि के बाद उक्त राशि पर किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।"

जी.

2 खंड 1.5 इस प्रकार हैः

“ 1.5.....(क) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार ऋण पूंजी पर ब्याज की गणना बकाया ऋणों पर की जाएगी, जिसमें पुनर्भुगतान की अनुसूची भी शामिल है।

एच.

मुद्राएँ जिनमें यह देय है, उस दिन प्रचलित बैंक की बिक्री दर पर विनिमय दरों का उपयोग करते हुए पारस्परिक रूप से सहमत स्रोत से प्राप्त की जाती हैं।"

8. सी. ई. आर. सी. प्रशुल्क विनियम, 2001, जिसमें "ऋण पूंजी पर ब्याज" [खंड 2.7 (ए)] और सी. ई. आर. सी. प्रशुल्क विनियम, 2004 का प्रावधान था, पर भरोसा किया गया था।

वे नीचे दिए गए हैंः

‘‘ 2.7(क) ऋण पूँजी पर ब्याज

ऋण पूंजी पर ब्याज की गणना बकाया ऋणों पर प्राधिकरण या किसी उपयुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार पुनर्भुगतान की अनुसूची को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।"

ग

9. सी. ई. आर. सी. प्रशुल्क विनियम, 2004 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

“20.ऋण-इक्विटी अनुपातः(1) आई. डी. 1 पर या उसके बाद वाणिज्यिक संचालन के तहत घोषित अन्य उत्पादन स्टेशनों के मामले में, वाणिज्यिक संचालन की तारीख को ऋण-इक्विटी अनुपात 70 होगाः30 शुल्क के निर्धारण के लिए।जहां नियोजित इक्विटी 30 प्रतिशत से अधिक है, टैरिफ के निर्धारण के लिए इक्विटी की राशि 30 प्रतिशत तक सीमित होगी और शेष राशि को मानक ऋण माना जाएगा।बशर्ते कि एक उत्पादन केंद्र के मामले में जहां नियोजित वास्तविक इक्विटी 30 प्रतिशत से कम है, वास्तविक ऋण और इक्विटी पर शुल्क के निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।

डी.

ई.

(2) खंड (1) के अनुसार प्राप्त ऋण और इक्विटी राशि का उपयोग ऋण पर ब्याज, इक्विटी पर रिटर्न, मूल्यह्रास के खिलाफ अग्रिम और विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन की गणना के लिए किया जाएगा।"

च

10. गुजरात ऊर्जा ने इस दावे का विरोध किया।निर्णय के बाद, जी. ई. आर. सी. ने खंड के एक सादे पठन पर सी. एल. पी. के तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूरक समझौते में पहली बार, जिसमें कहा गया था कि समझौते में भी 53.9 करोड़ रुपये को अपनी पूंजी के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसके लिए 14 प्रतिशत की दर से अपनी पूंजी की लागत को पारित किया जाना था।इस तरह की मान्यता के लिए प्रभावी तिथि 01.07.2003 से 31.03.2009 तक थी और उस तारीख के बाद ब्याज के रूप में कोई राशि देय और देय नहीं थी।यह विशेष रूप से कहा गया था कि यह शर्त पूर्ण सौदे का गठन करती है

जी.

एच.

एक निर्धारित अवधि के लिए प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की दर से अपनी पूंजी की लागत के उपचार के लिए प्रदान की गई सीमा। समझौते को किया जाना था और इसे संभावित संचालन दिया गया था।इससे पिछली अवधि यानी दिसंबर 1997 के लिए गुजरात ऊर्जा की ओर से कोई भी दायित्व समाप्त हो गया।यह भी माना गया कि 2010 में किए गए दावे पर काफी हद तक रोक लगा दी गई थी, जिस हद तक उसने तीन साल की अवधि से अधिक ब्याज की किसी भी राशि की मांग की थी।

11. सी. एल. पी. ने एक अन्य मुद्दे पर दावा किया कि जुलाई 2000 से लेकर आई. डी. 1 तक प्रति वर्ष 16 प्रतिशत की दर से आई. डी. 2 करोड़ पर ब्याज देय था।पूरक समझौते के संदर्भ में, शर्त में विशेष रूप से कहा गया है कि जी. पी. ई. सी. (यानी सी. एल. सी.) ने ऋणदाताओं द्वारा ऋण की कमी और वितरण को पूरा करने के लिए अपने आंतरिक स्रोत से

'14,48,40,831/- की राशि को तैनात किया था, जो जुलाई 2000 से 30.06.2012 तक प्रति वर्ष 16 प्रतिशत की दर से इस राशि पर भुगतान की अनुमति देने के लिए सहमत हुए।गुजरात ऊर्जा ने कहा कि यह ब्याज बकाया शर्तों को कम करने पर देय था, न कि ब्याज के बुलेट भुगतान के रूप में।12. सी. ई. आर. सी. ने फैसला सुनाया कि यह बिल्कुल स्पष्ट था कि पक्ष उक्त दर पर ब्याज की अनुमति देने के लिए सहमत हुए थे, उक्त राशि पर 16 प्रतिशत की दर से, यानी 14.48 करोड़।इसलिए, गुजरात ऊर्जा यह तर्क नहीं दे सका कि शेष राशि को कम करने की विधि पर ब्याज देय था और बुलेट पुनर्भुगतान विधि पर ब्याज का भुगतान स्वीकार्य नहीं था।आयोग, अर्थात जी. ई. आर. सी. ने नोट किया कि वैधानिक अधिसूचना, अर्थात दिनांक 30.03.1992 की अधिसूचना का खंड 1.5, पी. पी. ए. की अनुसूची VII दिनांक 03.02.1994 में खंड 7.5.10 के संबंध में बुलेट पुनर्भुगतान पर ब्याज की गणना को प्रतिबंधित नहीं करता है, विषय वस्तु या इसकी सामग्री को ऋण माना जाता था।इस दूसरे पहलू पर, इसलिए, पूरक समझौते में निहित अनुबंध की शर्तों को बरकरार रखा गया, जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान पर प्रति वर्ष 16 प्रतिशत ब्याज का निर्देश दिया गया था।

ग

डी.

ई.

13. सी. एल. पी. लिमिटेड जी. ई. आर. सी. के आदेश के उस हिस्से से व्यथित था जिसने 2003 की अवधि से पहले मानित ऋण घटक पर उसके दावे को खारिज कर दिया था।इसने ए. पी. टी. ई. एल. (अपील No.44/2009) में अपील की। ए. पी. टी. ई. एल. ने जी. ई. आर. सी. के निर्णय से सहमति व्यक्त की और कहा कि पूरक समझौते का खंड 7.5.14 (ए) गुजरात ऊर्जा को मानित ऋण के रूप में माने जाने वाले इक्विटी हिस्से पर मानित ऋण घटक पर भुगतान किए गए ब्याज को वापस करने के लिए बाध्य नहीं करता है, अर्थात 01.07.2003 से पहले की किसी भी अवधि के लिए 53.9 करोड़ रुपये। इसलिए सी. एल. पी. की याचिका खारिज कर दी गई।अतः उसने उक्त निष्कर्षों पर इस न्यायालय में अपील की है।

च

जी.

विश्लेषण और निष्कर्ष

14. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (इसके बाद "आपूर्ति अधिनियम") की धारा 43 ए इस प्रकार हैः

एच.

“43 उ. उत्पादन कंपनी द्वारा बिजली की बिक्री के लिए नियम, शर्तें और शुल्क।- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(1) एक उत्पादन कंपनी अपने द्वारा उत्पादित बिजली की बिक्री के लिए अनुबंध कर सकती है -

क) राज्य या उन राज्यों में से किसी के लिए गठित बोर्ड के साथ जिसमें कंपनी के स्वामित्व या संचालित उत्पादन केंद्र स्थित है;

(ख) किसी अन्य राज्य के लिए गठित बोर्ड के साथ जिसमें वह धारा 15 क की उप-धारा (3) के अनुसरण में अपनी गतिविधियाँ चला रहा है; और

(ग) सक्षम सरकार या सरकारों की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के साथ।

(2) एक उत्पादक कंपनी द्वारा बोर्ड को बिजली की बिक्री के लिए शुल्क का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित संचालन और संयंत्र भार कारक के संबंध में मानदंडों के अनुसार और मूल्यह्रास और उचित रिटर्न की दरों और ऐसे अन्य कारकों के अनुसार किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित किए जाते हैंः

डी.

बशर्ते कि ऐसी बिक्री के लिए नियम, शर्तें और शुल्क, केंद्र सरकार के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाली जनरेटिंग कंपनी के संबंध में, ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं और एक या अधिक राज्य सरकारों के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाली जनरेटिंग कंपनी के संबंध में ऐसे हों जो समय-समय पर संबंधित सरकार या सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाएं।"

ई.

च

15. शुरुआत में, यह ध्यान देने योग्य है कि इस मुद्दे पर, क्या 1998 से 2005 की अवधि के लिए सी. एल. पी. को भुगतान की गई राशि गुजरात ऊर्जा द्वारा वास्तव में देय राशि से अधिक थी, जी. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष समवर्ती हैं।यह न्यायालय अपीलीय समीक्षा के लिए किसी भी अनुचितता या भौतिक कारकों के चेहरे की चूक को नहीं समझता है।फिर भी, अदालत इस पहलू पर की गई दलीलों पर विचार करना जारी रखेगी।गुजरात ऊर्जा का तर्क है कि समवर्ती निष्कर्ष, जिस हद तक वे 2002 तक की अवधि तक धनवापसी को सीमित करते हैं, गलत हैं, क्योंकि वास्तव में सी. एल. पी. को अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध किया गया है।गुजरात ऊर्जा के वरिष्ठ वकील श्री सी. ए. सुंदरम ने तर्क दिया

जी.

एच.

कि एक बार जब जी. ई. आर. सी. ने 1992 के शुल्क आदेश के एक सादे पठन और व्याख्या पर पाया कि प्रोत्साहन का भुगतान उसी तरीके से नहीं किया जा सकता था जिस तरह से पार्टियों द्वारा विचार किया गया था, जब उन्होंने पी. पी. ए. में प्रवेश किया था (आई. डी. 2 पर), कानून के मामले के रूप में, भुगतान की गई राशि अधिक थी; परिणामस्वरूप, कानून के साथ-साथ इक्विटी दोनों में, सी. एल. पी. पूरी अतिरिक्त राशि को वापस करने के लिए बाध्य था, उस समय से जब वह उन राशियों का हकदार नहीं था।

16. सीमा के सवाल पर, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि ए. पी. टी. ई. एल. ने इस अदालत के फैसलों का पालन नहीं करने में कानूनी रूप से गलती की।

हरि शंकर सिंघानिया बनाम गौर हरि सिंघानिया 3 और श्री राम

मिल्स Ltd.v।यूटिलिटी प्रिमाइसेस लिमिटेड 4 ने इस बात पर विचार करते हुए कि यह मुद्दा समय-बाधित नहीं था।वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रश्न पक्षों का ध्यान आकर्षित कर रहा था और सीएलपी इस तथ्य से अवगत था कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्र सरकार ने इस पहलू पर निर्णय लिए थे।इसके अलावा, कानून के मामले में, संशोधन के कारण, अधिसूचना (दिनांक 06.11.1995) में, सी. एल. पी. प्रोत्साहन नीति के आधार पर अधिक शुल्क का वैध रूप से दावा नहीं कर सकती थी जो अब लागू नहीं थी।इसलिए, उस सीमा तक भुगतान की गई राशि जिसमें वे नहीं थे

ग

डी.

उक्त संशोधन के अनुरूप, पूरी तरह से वापस किया जाना था।

17. सी. एल. पी. की ओर से वरिष्ठ वकील श्री साजन पूवय्या ने आग्रह किया कि नीचे दिए गए दोनों अधिकारियों ने पी. पी. ए. की शर्तों, 30.03.1992 की अधिसूचना और 06.11.1995 के संशोधन की अपनी व्याख्या में गलती की है।यह तर्क दिया गया था कि सी. एल. पी. का उत्पादन केंद्र गैस आधारित है न कि नाफ्था आधारित स्टेशन।06.11.1995 की अधिसूचना केवल 100% नाफ्था आधारित स्टेशनों पर लागू होती है और सी. एल. पी. जैसे गैस आधारित स्टेशनों पर नहीं, जहां गैस उपलब्ध नहीं होने पर नाफ्था का उपयोग द्वितीयक ईंधन के रूप में किया जाता था।अधिसूचना में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "नाफ्था आधारित स्टेशन" कला का एक शब्द है; यह केवल पौधे की भौतिक विशेषता को संदर्भित करता है न कि उपयोग किए जाने वाले ईंधन की प्रकृति को।यह आगे तर्क दिया गया कि 06.11.1995 की संशोधन अधिसूचना ही गैस आधारित स्टेशनों और नाफ्था आधारित स्टेशनों के बीच अंतर करती है।पी. पी. ए. के संदर्भ में सी. एल. पी. का संयंत्र गैस आधारित है, नाफ्था आधारित नहीं।इसलिए, दिनांकित 06.11.1995 अधिसूचना इसके संयंत्र पर लागू नहीं होगी।इसके अलावा, वकील ने आग्रह किया कि चूंकि पी. पी. ए. 03.02.1994 पर दर्ज किया गया था, इसलिए 06.11.1995 दिनांकित संशोधन अधिसूचना पहले से मौजूद पी. पी. ए. पर लागू नहीं होगी, क्योंकि इसका संभावित प्रभाव पड़ता है।अंत में प्रस्तुत किया गया

ई.

च

जी.

3 (2006) 4 एससीसी 658 4 (2007) 4 एससीसी 599 ए

एच.

सी. एल. पी. इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड [एस. रवींद्र भारत, जे.] ए.

611

कि कानून के परिवर्तन के संबंध में पी. पी. ए. दिनांक 03.02.1994 का खंड 6.5 स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है।यह कानून में बदलाव के लिए जी. पी. ई. सी. के हितों की रक्षा के लिए केवल पहले वाले भाग से संबंधित है।“खंड 6.5 में निर्दिष्ट "कानून में परिवर्तन" में दिनांकित 30.03.1992 अधिसूचना में संशोधन शामिल है।इसलिए, दिनांकित 06.11.1995 संशोधन अधिसूचना से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों की भरपाई सी. एल. पी. के पक्ष में की जानी है।

18. यह तर्क दिया गया था कि संशोधित अधिसूचना दिनांक 06.11.1995 के नोट (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह केवल नाफ्था स्थित स्टेशनों पर लागू होता है जिनके लिए उत्पादन प्रोत्साहन लागू नहीं था।इसलिए, सी. एल. पी. जैसी गैस आधारित इकाइयों को स्पष्ट रूप से नोट (2) द्वारा कवर नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने नाफ्था का उपयोग केवल एक वैकल्पिक ईंधन या विकल्प ईंधन के रूप में किया था।इसलिए, जी. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा इस प्रभाव के लिए दिए गए निष्कर्ष कि नाफ्था स्थित स्टेशन में वे शामिल हैं जो नाफ्था को ईंधन के रूप में भी फायर करने में सक्षम हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि वे जो केवल नाफ्था को फायर करने में सक्षम हैं, गलत है।

ग

डी.

19. पार्टियों के प्रस्तुतिकरण दो अधिसूचनाओं दिनांकित 30.03.1992 और 06.11.1995 के संबंध में हैं।ये अधिसूचनाएँ आपूर्ति अधिनियम की धारा 43 (ए) के तहत थीं। माना जा सकता है कि ये अधिसूचनाएं वैधानिक हैं और पार्टियों के लिए बाध्यकारी हैं।बिजली पैदा करने वाली कंपनी और बिजली के खरीदार के बीच कोई भी पी. पी. ए. ऐसी वैधानिक अधिसूचनाओं के अधीन है; पक्ष समझौते द्वारा वैधानिक प्रावधानों, या ऐसी अधिसूचनाओं को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, जहां तक वे टैरिफ के मामलों से संबंधित हैं।

ई.

20. इसलिए, पी. पी. ए. के तहत पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को वैधानिक प्रावधानों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए।पी. पी. ए. के प्रावधान, यदि वे वैधानिक प्रावधानों के विपरीत हैं, तो उन्हें प्रभावी नहीं किया जा सकता है।03.02.1994 के PPA के संदर्भ में, "ईंधन" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

च

“ईंधन प्राकृतिक गैस और/या गुजरात टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी (जी. टी. ई. सी.) (अब सी. एल. पी.) द्वारा बिजली उत्पादन के लिए बिजली स्टेशन में उपयोग के लिए चुना गया कोई भी तरल ईंधन।

जी.

‘'ईंधन प्रबंधन' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

“ईंधन प्रबंधनः-जी. टी. ई. सी. के पावर स्टेशन को ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस और तरल ईंधन का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।जी. टी. ई. सी. समय-समय पर स्थिति के आधार पर सर्वोत्तम आर्थिक तरीके से गैस और अन्य ईंधन का चयन और उपयोग और अनुपात तय करेगा।"

एच.

21. वैकल्पिक ईंधन का प्रकार और इसकी दीर्घकालिक खरीद अनुबंध सीएलपी और गुजरात ऊर्जा द्वारा संयुक्त रूप से तय किया जा सकता है।सी. एल. पी. द्वारा उपयोग किए जाने पर वैकल्पिक ईंधन की लागत को अनुसूची VII (पी. पी. ए.) में परिभाषित परिवर्तनीय शुल्कों की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा।पी. पी. ए. के लिए अनुसूची VII के खंड 7 और खंड 4 प्रासंगिक हैं।5 इसके तहत

पूर्व में, गुजरात ऊर्जा को केंद्र सरकार की 30.03.1992 की अधिसूचना के आधार पर सी. एल. पी. से बिजली खरीदनी पड़ी।इसने आगे प्रावधान किया कि किसी भी वर्ष में शुद्ध उपलब्धता के पहले 6000 किलोवाट/किलोवाट (यानी 68.5% पीएलएफ-यानी संयंत्र भार कारक) के लिए शुल्क (ए) निश्चित शुल्क और (बी) परिवर्तनीय शुल्क (यानी खंड 7.2 और 7.3 द्वारा परिभाषित शब्द) का योग होना था।68.5% से अधिक वास्तविक और मानित उत्पादन की सभी अतिरिक्त ऊर्जा के लिए, देय शुल्क (ए) प्रोत्साहन और (बी) परिवर्तनीय शुल्क का योग होना था।खंड 7,4 में प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया था, जो कि अधिसूचना एस. ओ. 251 (ई), दिनांक 30.03.1992 (17.01.1994 पर संशोधित) के अनुसार 6000 घंटे प्रति के. डब्ल्यू. एच./के. डब्ल्यू. (यानी 68.5% पी. एल. एफ.) के मानक स्तर से ऊपर उत्पादन में प्रत्येक 1 प्रतिशत वृद्धि के लिए @0.575% होना था।

ग

22. सी. एल. पी. का यह तर्क कि इसकी इकाई अनिवार्य रूप से गैस-आधारित थी और नाफ्था-आधारित इकाई की परिभाषा का अर्थ केवल वह इकाई है जो ईंधन के रूप में पूरी तरह से नाफ्था पर निर्भर थी, या जो कम से कम 50 प्रतिशत तक नाफ्था का उपयोग करती थी, हमारी राय में सही नहीं है।

डी.

23. इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड बनाम इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड मामले में इस अदालत का फैसला।एम. पी. और अन्य का राज्य। 6 इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि पक्ष कर सकते हैं

ई.

5 सुविधा के लिए, उन्हें निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः

“ 7.1 शुल्क

जी. ई. बी. जी. टी. ई. सी. से बिजली खरीदेगा, आमतौर पर भारत सरकार की अधिसूचना No.SO 251 (ई) डी. टी. डी. के आधार पर।30-3-1992.इस समझौते की शर्तों के दौरान किसी भी वर्ष में शुद्ध उपलब्धता के पहले 6,000 किलोवाट/किलोवाट (यानी 68.5 पीएलएफ) के लिए शुल्क (ए) निश्चित शुल्क और (बी) परिवर्तनीय शुल्क का योग होगा।किसी भी वर्ष में पी. एल. एफ. से अधिक वास्तविक और मानित उत्पादन की सभी ऊर्जा के लिए, जी. ई. बी. द्वारा देय शुल्क (ए) नीचे वर्णित प्रोत्साहन और (बी) परिवर्तनीय शुल्क का योग होगा।ऊर्जा या क्षमता की बिक्री पर या उससे संबंधित कोई भी कर या शुल्क जी. ई. बी. द्वारा शुल्क के अतिरिक्त देय होगा।

च

.....

.....

...

.....

7.4 प्रोत्साहन किसी भी पखवाड़े के संबंध में उपरोक्त 7.1 में निर्दिष्ट प्रोत्साहन, उक्त अधिसूचना No.SO 251 (E) के संशोधन दिनांक 17.1.94 के अनुसार, 6000 घंटे प्रति किलोवाट/किलोवाट (यानी 68.5% पीएलएफ) के मानक स्तर से ऊपर उत्पादन में प्रत्येक 1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 0.575% की दर से इक्विटी पर अतिरिक्त रिटर्न के रूप में होगा।"

जी.

6 (2000) 3 एस. सी. सी. 379, जहाँ यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया था किः“धारा 43 विद्युत बोर्ड को ऐसी शर्तों पर बिजली की खरीद के लिए व्यवस्था करने का अधिकार देती है जिन पर सहमति हो।धारा 43-ए (1) में प्रावधान है कि एक उत्पादक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित बिजली की बिक्री के लिए बिजली ए के साथ अनुबंध कर सकती है।

एच.

सी. एल. पी. इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड [एस. रवींद्र भारत, जे.] ए.

613

धारा 43 ए के तहत बिजली के उत्पादन और बिक्री के लिए शर्तों के लिए सहमत हैं, सिवाय इसके कि शुल्क धारा 43 ए में निहित प्रावधान के अनुसार होना चाहिए। बिनानी में निर्णय

जिंक लिमिटेड बनाम.केरल राज्य विद्युत बोर्ड 7; टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम।अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड और अन्य। 8 ने भी एक लिया है

समान दृष्टिकोण।24. 03.02.1994 के पी. पी. ए. के खंड 6.5 में कानून में परिवर्तन से संबंधित स्थिति पर चर्चा की गई है। इसने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.03.1992 में किसी भी संशोधन को शुल्क गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा।9 अधिसूचना का प्रासंगिक भाग

बोर्ड।जहां तक बोर्ड को एक उत्पादक कंपनी द्वारा बिजली की बिक्री के लिए शुल्क के निर्धारण का संबंध है, धारा 43 (1) (2) में प्रावधान है कि शुल्क का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित संचालन और संयंत्र भार कारक के संबंध में मानदंडों के अनुसार और मूल्यह्रास और उचित रिटर्न की दरों और ऐसे अन्य कारकों के अनुसार किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर

आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।ये प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि समझौता ऐसी शर्तों पर हो सकता है जिन पर पक्षों द्वारा सहमति हो, सिवाय इसके कि शुल्क का निर्धारण धारा 43-ए (2) में निहित प्रावधान और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाना है।केवल इसलिए कि एक अनुबंध एक क़ानून द्वारा प्रदत्त एक अधिनियमन शक्ति के प्रयोग में किया जाता है जो स्वयं अनुबंध को एक वैधानिक अनुबंध नहीं बना सकता है।यदि कानून के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों वाले अनुबंध में प्रवेश करना आवश्यक है, तो वह अनुबंध एक वैधानिक अनुबंध बन जाता है। यदि किसी अनुबंध में कुछ नियम और शर्तें शामिल हैं जो वैधानिक हैं तो उस हद तक उक्त अनुबंध वैधानिक है।एक अनुबंध में कुछ अन्य नियम और शर्तें हो सकती हैं जो एक वैधानिक चरित्र के नहीं हो सकते हैं और जिन्हें पार्टियों के बीच आपसी समझौते के परिणामस्वरूप इसमें शामिल किया गया है।इसलिए, पी. पी. ए. को केवल इस हद तक वैधानिक माना जा सकता है कि उनमें धारा 43 ए (2) के शुल्क निर्धारण और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के संबंध में प्रावधान शामिल हों।"

ग

डी.

ई.

7 (2009) 11 एससीसी 244

8 2019(7) स्केल 297

9 यह शर्त इस प्रकार हैः“ 6.5 कानून में बदलावःयदि किसी भी सरकारी प्राधिकरण या किसी भी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या नगरपालिका प्राधिकरण के किसी भी कानून या विनियमों के परिणामस्वरूप इसकी तारीख के बाद प्रभावी होने और संशोधित, संशोधित या निरस्त होने की तारीख से लागू होने की स्थिति में, परियोजना में जी. टी. ई. सी. का हित और/या परियोजना में इसके निवेश पर जी. टी. ई. सी. का कर का अनुमानित आर्थिक लाभ (या अन्य अधिरोपण) भौतिक रूप से कम हो जाता है या अन्यथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है (जिसमें बिना किसी सीमा के, भारत के बाहर विदेशी मुद्राओं में रुपये को परिवर्तित करने या धन भेजने की क्षमता पर कोई प्रतिबंध भी शामिल है) तो यहां के पक्ष इस समझौते में संशोधन पर सहमत होंगे और इस प्रभाव से सहमत होने का प्रयास करेंगे कि जी. टी. ई. सी. द्वारा किए गए निवेश पर सभी बढ़ी हुई लागत या खोए हुए लाभभारत सरकार की अधिसूचना No.S.O.251 (E) दिनांक 30.3.92 में किसी भी संशोधन को शुल्क गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा।"

च

जी.

एच.

30.03.1992 जो उत्पादन कंपनी द्वारा वसूल किए जाने योग्य शुल्कों से संबंधित था, वह खंड 1.6 था।10 उस शर्त को दिनांकित 06.11.1995 अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें नोट (2) द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था किः

“ ध्यान देंः2-नेप्था आधारित ताप संयंत्रों के लिए, क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों के आदेश के अनुसार, 6000 किलोवाट/किलोवाट/वर्ष के संयंत्र भार कारक से परे, प्रोत्साहन उद्देश्य के लिए प्राप्त उत्पादन के रूप में नहीं माना जाएगा।"

25. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पी. पी. ए. जिसे पार्टियों ने विशेष रूप से 30.03.1992 की अधिसूचना का उल्लेख किया और आगे कहा कि पहले के. डब्ल्यू. एच./के. डब्ल्यू. के लिए, 68.5% निश्चित शुल्क और परिवर्तनीय शुल्क का एक संयंत्र भार कारक तैनात किया गया था।संबंधित इकाई-सी. एल. पी. द्वारा इसके अलावा और उससे अधिक हासिल किए गए

उत्पादन के लिए, देय निश्चित और परिवर्तनीय शुल्क के अलावा प्रत्येक 1 प्रतिशत वृद्धि के लिए एक प्रोत्साहन @5.75% पर सहमति व्यक्त की गई।महत्वपूर्ण रूप से, निश्चित और परिवर्तनीय शुल्क 30.03.1992 की वैधानिक अधिसूचना के अनुरूप हैं (जिसे बाद में 17.01.1994 पर भी संशोधित किया गया था)।पी. पी. ए. की अनुसूची VII के खंड 7.1 के सरल पठन से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 06.11.1995 पर संशोधित अधिसूचना एक वैधानिक थी, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह पक्षों पर बाध्यकारी थी।इसलिए, पहले की अधिसूचना, जिसने पक्षों को देय प्रोत्साहन सहित विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था, को नोट 2 द्वारा संशोधित किया गया, जिसे शुल्क के खंड 1.6 में जोड़ा गया था।संशोधन के माध्यम से इस वैधानिक निगमन का प्रभाव यह था कि प्रोत्साहन अब देय नहीं रहा।सी. एल. पी. की दलीलें, अदालत की राय में, कि पक्ष केवल समझौते की शर्तों से बाध्य थे और संशोधन अधिसूचना संभावित होने के कारण, शुल्क की शर्तों, विशेष रूप से देय प्रोत्साहन में बदलाव नहीं कर सकते थे, अवास्तविक हैं और इसका कोई बल नहीं है।इसलिए, इस पहलू पर समवर्ती निष्कर्ष ठोस हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।इसी तरह,

ग

डी.

ई.

च

10 'अधिसूचना में उक्त शर्त इस प्रकार हैः" 1.6 पूर्ण निश्चित शुल्क 5500-6000 घंटे/किलोवाट/वर्ष के उत्पादन स्तर पर वसूली योग्य होंगेः5500 किलोवाट/किलोवाट/वर्ष के स्तर से नीचे के निश्चित शुल्कों का भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।6000 घंटे से अधिक के उत्पादन स्तर के लिए कोई निश्चित शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।/केडब्ल्यू/वर्षःहालांकि 6000 घंटे से अधिक उत्पादन।/के. डब्ल्यू./वर्ष उत्पादन कंपनियों और बोर्ड के बीच बातचीत की गई दरों पर होगा, जिसमें निश्चित लागत तत्व शामिल नहीं होगा।उत्पादन के स्तर की गणना करते समय, क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार उत्पादन में कमी की सीमा को प्राप्त उत्पादन के रूप में माना जाएगा।निर्धारित शुल्क का भुगतान मासिक आधार पर संबंधित बोर्डों द्वारा ली गई बिजली के अनुपात में किया जाएगा।वास्तविक बिक्री और मानित बिक्री के आधार पर आवश्यक समायोजन प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाएगाः"

जी.

एच.

कानून के प्रावधान में परिवर्तन (पी. पी. ए. का खंड 6.5) में स्पष्ट रूप से विचार किया गया कि प्रचलित शुल्क अधिसूचना (दिनांक 30.03.1992) में कोई भी संशोधन पक्षों को बाध्य करेगा।चूँकि टिप्पणी (2) एक संशोधन था, जो प्रोत्साहन के मुद्दे से संबंधित था, अब यह नहीं कहा जा सकता है कि यह लागू नहीं था।इसलिए, निचले अधिकारियों के निष्कर्ष सही हैं; किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

26. अगला सवाल यह है कि क्या जी. ई. आर. सी. और ए. पी. टी. ई. एल. ने गुजरात ऊर्जा के आवेदन से पहले 3 साल की अवधि के लिए गणना योग्य प्रतिबंधित धनवापसी देने में गलती की।इस न्यायालय की राय में, इस पहलू पर सहमत निष्कर्ष उचित हैं।सी. पी. एल. के इस कथन में योग्यता है कि कार्रवाई का कारण सबसे पहले मई, 1996 में सामने आया था, जब गुजरात ऊर्जा ने 06.11.1995 की अधिसूचना के बावजूद, पी. पी. ए. के संदर्भ में प्रोत्साहन देय होने के उसके तर्क को खारिज कर दिया था।इस कथित स्थिति के बावजूद, बैठकें जारी रहीं और इसके अलावा, सी. एल. पी. को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी दस्तावेज़ में निर्णायक रूप से कहा गया है कि सी. एल. पी. के दावे को स्वीकार कर लिया गया था।हम गुजरात ऊर्जा के निवेदन में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि संचार की एक श्रृंखला के कारण इस मुद्दे को जीवित रखा गया था।इस संबंध में, सीमा अधिनियम की धारा 18 के अप्रयोज्य होने के बारे में ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष सही हैं।सी. एल. पी. की ओर से कम से कम इस तरह की कोई स्वीकारोक्ति नहीं थी, जिसने अतिरिक्त भुगतानों की

वसूली के लिए आवेदन करने के लिए समय बढ़ाया।इस अदालत द्वारा लगातार यह फैसला दिया गया है कि बार-बार पत्र, या संचार का आदान-प्रदान, कानून द्वारा प्रदान की गई सीमा की अवधि को नहीं बढ़ाता है।11

ग

डी.

ई.

27. तीसरा और अंतिम निर्गम डीम्ड इक्विटी पर ब्याज के भुगतान के संबंध में है।शुल्क के एक घटक के रूप में ऋण पर ब्याज के लिए प्रदान की गई 30.03.1992 अधिसूचना का खंड 1.5 यह निर्धारित करता है कि ब्याज (बकाया ऋण पर) की गणना प्राधिकरण (सी. ई. ए.) द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार की जाएगी।03.02.1994 (अनुसूची VII) खंड 7.5.10 के पीपीए ने ऋण पूंजी पर ब्याज को सभी भुगतानों के योग के रूप में परिभाषित किया है।

च

बैंक शुल्कों के साथ ब्याज और बैंक द्वारा भुगतान किए गए बकाया ऋणों पर सालाना भुगतान की जाने वाली सभी संबद्ध वित्तपोषण लागतें

जी. टी. ई. सी. "केंद्रीय आयोग के 21.02.2000 के आदेश के कारण 2001 के शुल्क नियमों में एक शर्त लगाई गई। आखिरकार, 2004 के शुल्क विनियमों को लागू किया गया; इसमें 70 के ऋण अनुपात का प्रावधान किया गया:30 शुल्क के निर्धारण के लिए।इसमें यह भी प्रावधान किया गया था किः

जी.

11 S.S.Rathore बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1989 (4) एससीसी 582; भारत संघ बनाम हर दयाल 2010 (1) एससीसी 394; श्लमबर्गर एशिया सर्विसेज लिमिटेड बनाम तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड 2013 (7) एससीसी 562।

एच.

“जहां नियोजित इक्विटी 30 प्रतिशत से अधिक है, टैरिफ के निर्धारण के लिए इक्विटी की राशि 30 प्रतिशत तक सीमित होगी और शेष राशि को मानक ऋण माना जाएगा।

28. इस मामले में ऋण-इक्विटी अनुपात को बाधित किया गया था; तदनुसार 53.9 करोड़ रुपये को "मानित" या मानक ऋण के रूप में माना गया था, जिसके लिए पक्षों को शुल्क अधिसूचना के अनुसार देय ब्याज की दर पर सहमत होना था।इन घटनाक्रमों के आलोक में ही पूरक समझौता किया गया था।इसने मौजूदा पी. पी. ए. में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन किया 12:

“दोनों पक्षों ने रुपये की राशि को मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की है। 53.90 करोड़ रुपये "अपनी पूंजी" के रूप में पूंजीगत लागत और "अपनी पूंजी की लागत" के रूप में लागत के भुगतान के भत्ते को पूरा करने के लिए तैनात किया गया है, जो 1.7.2003 से और 31.12.2009 तक 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रभावी है।उक्त तिथि के बाद उक्त राशि पर किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।"

ग

29. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पक्षों को उस अवधि के बारे में कोई संदेह नहीं था जिसके लिए ऐसे मानित ऋण पर निर्दिष्ट ब्याज देय था।ब्याज की दर तय की गई थी; इसी तरह, जिस तारीख से भुगतान दायित्व उत्पन्न होने वाले थे, वह भी ज्ञात था। साथ ही, इस तरह के मानित ऋण भुगतान पर ब्याज की तारीख ज्ञात और तय की गई थी।इन परिस्थितियों में, सी. एल. पी. का यह दावा कि पूर्व अवधि के लिए ब्याज का भुगतान बकाया था, और गुजरात ऊर्जा का दायित्व था, निराधार है।हाल के एक फैसले 13 में इसी तरह का एक मुद्दा सामने आया था।अदालत ने नेशनल थर्मल में फैसले का हवाला दिया

डी.

ई.

पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाममध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड 14

जहां इस मुद्दे पर अनुमोदन के साथ एक और पिछले निर्णय का हवाला दिया गया था कि किसी समझौते में किसी चीज़ के लिए स्पष्ट प्रावधान का मतलब था कि अन्य समान मामलों को बाहर रखा गया था।15

च

12 एफ. एन. 1 आई. बी. आई.

13 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम Ltd.and ओआरएस बनामअदानी पावर लिमिटेड और अन्य। 2019 (5) एससीसी 325

14 (2011)15 एस. सी. सी. 580

जी.

15 उत्तर हरियाणा (f.n.13 ibid) में इस अदालत की टिप्पणियों के प्रासंगिक भाग नीचे दिए गए हैं।:

“25. इस संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स (2003) 8 एस. सी. सी. 6487 में दावा अनिवार्य रूप से माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 61 के तहत कवर किया गया था, और हर्जाने के रूप में ब्याज इस वैधानिक प्रावधान के अनुसार ही देय था।देयता को स्पष्ट कर दिया गया था और देयता के अनुसार राशि का भुगतान करने में विफलता के कारण ब्याज देय हो गया था।इसके अलावा, कुछ भी नहीं था ए

एच.

सी. एल. पी. इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड [एस. रवींद्र भारत, जे.] ए.

617

30. टैरिफ व्यवस्थाओं के तहत परिवर्तित ऋण-इक्विटी अनुपात के संदर्भ में कुछ हद तक समान मुद्दा, यानी मानक मानित ऋण (यानी मानित ऋण) पर ब्याज, इस अदालत के एक फैसले में विचार किया गया था, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

“20. अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 23.11.2007 के आदेश में इस मामले को 'ऋण इक्विटी अनुपात' शीर्षक के तहत निपटाया गया।न्यायाधिकरण ने डी. वी. सी. की सभी पुरानी परियोजनाओं और 50 की मानक ऋण इक्विटी के संबंध में अपीलार्थी के मामले को स्वीकार कर लियाः50 सौंपा गया था, 1992 से पहले कमीशन किया गया था।मेजिना जैसी हाल की परियोजनाओं के संबंध में, इसे 70 का ऋण इक्विटी अनुपात सौंपा गया थाः30 विनियमों में निर्दिष्ट पूंजी संरचना पर।यह निष्कर्ष अंतिम हो गया है।अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि इक्विटी पूंजी का प्राथमिक स्रोत रहा है।इसके बाद, पैराग्राफ ए-10 में, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा यह पाया गया कि मालिक खुद व्यवसाय से संबंधित जोखिम उठाते हैं और पूंजी निवेश पर ब्याज के हकदार होते हैं, लेकिन प्रतिफल बिजली की आपूर्ति के लिए शुल्क के निर्धारण की योजना द्वारा नियंत्रित किया जाना है जैसा कि कानून द्वारा अनिवार्य है।अपीलीय न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि इस योजना में इक्विटी (आर. ओ. ई.) पर सुनिश्चित रिटर्न का प्रावधान है जो बिजली की आपूर्ति के उद्देश्य से नियोजित इक्विटी पर 14 प्रतिशत की दर से है।यह योजना बिजली की आपूर्ति के अलावा अन्य परियोजनाओं पर किए गए निवेश पर प्रतिफल को बिजली की आपूर्ति से वसूल करने की अनुमति नहीं देती है।न्यायाधिकरण ने यह निर्णय दिया कि डीवीसी अधिनियम पूंजी को उधार के रूप में मान्यता नहीं देता है और भाग लेने वाली सरकारों को ऐसी पूंजी के पुनर्भुगतान के बारे में कोई संदर्भ नहीं है।अपीलीय न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ता है कि भाग लेने वाली सरकारों द्वारा डाली गई पूंजी इक्विटी पूंजी की प्रकृति में है और शुल्क के निर्धारण के लिए,

ग

डी.

ई.

च

ब्याज अनुदान के मुद्दे पर पक्षों के बीच समझौते में इसके विपरीत।वर्तमान मामले में, हमारे पास 1999 के विनियमों के विनियम 79 (2) का दूसरा प्रावधान है, जिसमें उत्पादन करने वाली कंपनी को आयोग द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के लिए मौजूदा शुल्क लेना जारी रखने की अनुमति दी गई है और अधिसूचनाओं में अंतिम शुल्क निर्धारित होने तक मौजूदा शुल्क को जारी रखने की अनुमति दी गई है।इसमें ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था।यह तथ्य कि 2004 के विनियमों के तहत एक अधिसूचना द्वारा बाद में ब्याज प्रदान किया गया था, वर्तमान मामले में एक विपरीत स्थिति का भी संकेत है अर्थात कि ब्याज पहले देय नहीं था।"

जी.

16 दामोदर घाटी निगम बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य। 2018 (15) स्केल 451।

एच.

वही इक्विटी पर वापसी के लिए पात्र होगा लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण वहाँ समाप्त नहीं होता है।यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि इक्विटी पर प्रतिफल 2004 के प्रशुल्क विनियमन द्वारा अनुमत किया जा सकता है।इसके बाद अपीलीय न्यायाधिकरण ने पैरा 15 में यह अभिनिर्धारित किया कि डी. वी. सी. अधिनियम पूंजी पर ब्याज का प्रावधान करता है जिसका योगदान प्रतिभागी सरकारों द्वारा किया जाता है।सरकार को देय अर्जित ब्याज को स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा बनाए रखने की अनुमति दी गई है।हालाँकि, भाग लेने वाली सरकारों की मौन सहमति से इसे वापस राजधानी में जुताई गई।इसके बाद, यह कहा जाता है कि यह डी. वी. सी. अधिनियम की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार डी. वी. सी. को प्रदान किया जाना है। इसके बाद अनुच्छेद ए-16 है जिसे हम पहले ही निकाल चुके हैं, न्यायाधिकरण ने कहा कि डी. वी. सी. अधिनियम के तहत यदि भाग लेने वाली सरकारों द्वारा योगदान की गई पूंजी में कोई कमी है, तो इसे भाग लेने वाली सरकारों की ओर से ऋण लेकर पूरा किया जाना चाहिए।उक्त ऋण ब्याज आकर्षित करेगा।देय पुनर्भुगतान की औसत ब्याज दर 50 पर लागू की जानी है:50 मानक ऋण पूंजी।इसका मतलब है कि भंडार सहित कुल इक्विटी में से, 50 के मानक ऋण अनुपात पर विचार करते हुए इक्विटी:50 विनियमों में निर्दिष्ट इक्विटी पर प्रतिफल के लिए पात्र होगा और 14 प्रतिशत के इक्विटी आय अनुपात पर इक्विटी की अधिकता, यदि कोई हो, को ब्याज वाले ऋण के रूप में माना जाएगा।दिए गए उदाहरण में यह दिखाया गया है कि यदि ऋण इक्विटी अनुपात 40 है:60, इक्विटी पर 14 प्रतिशत का प्रतिफल 50 प्रतिशत इक्विटी पर उपलब्ध होगा, जबकि ब्याज इक्विटी के 10 प्रतिशत हिस्से पर उपलब्ध होगा और 40 प्रतिशत ऋण जो पुनर्भुगतान द्वारा घटाया गया था।

ग

डी.

ई.

च

21. रिमांड के आधार पर आयोग ने अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार ऋण इक्विटी अनुपात तय किया है।इसने आगे इक्विटी हिस्से पर 14 प्रतिशत की दर से रिटर्न प्रदान किया है, जो कि 50 प्रतिशत है।ऋण भाग के संबंध में, मूल्यह्रास की कटौती के बाद ब्याज की गणना की गई है, जिसकी वैधता अन्य विवाद का विषय है, जिस पर हम अलग से विचार करेंगे।यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलार्थी को ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर पूंजी के संबंध में प्रशुल्क विनियमन के संदर्भ

में इक्विटी पर रिटर्न पहले ही दिया जा चुका है, जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा एक अनुपात पर तय किया गया है जो पक्षों के बीच अंतिम हो गया है।

जी.

एच.

सी. एल. पी. इंडिया पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड [एस. रवींद्र भारत, जे.]

619

क.

22. यद्यपि दिनांक 1 के आदेश के पैरा ए-9 के अवलोकन से यह प्रतीत हो सकता है कि इक्विटी को पूंजी का मुख्य स्रोत पाया गया है, अनुच्छेद ए-10, ए-16 और अधिक महत्वपूर्ण रूप से ई-13 के अवलोकन से पता चलेगा कि डीवीसी अधिनियम की धारा 38 के तहत पूंजी को परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य के रूप में समझा गया है जब उन्हें पहली बार वाणिज्यिक उपयोग के लिए रखा गया था।पूँजी को न केवल इक्विटी के रूप में समझा जाता है, बल्कि इसे ऋण और इक्विटी दोनों के रूप में भी समझा जाता है।पुरानी परियोजनाओं के संबंध में ऋण और इक्विटी के बीच का अनुपात भी 50 पर तय किया गया हैः50 और नई परियोजनाओं के तहत यह 70 हैः30.अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 1 के आदेश के पैराग्राफ ई-13 से यह और स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने विचार किया कि इक्विटी घटक स्थिर रहेगा और यह टैरिफ विनियमन में प्रदान की गई वापसी की दर अर्जित करेगा।जहां तक ऋण घटक का संबंध है, यह पुनर्भुगतान के कारण कम हो जाएगा।इसलिए, विनियमों के तहत विचार के अनुसार वसूली दो रूपों में पाई गई, अर्थात् या तो इक्विटी भाग के संबंध में इक्विटी पर वापसी और ऋण घटक पर ब्याज के रूप में।"

ग

डी.

31. वर्तमान मामले में, पक्षों के बीच स्पष्ट समझौता यह था कि '53.90 करोड़ की राशि पर ब्याज निर्दिष्ट अवधि 01.07.2003 से 31.12.2009 के लिए देय था।इसलिए, सी. एल. पी. का दावा कि 01.07.2003 से पहले किसी भी अवधि के लिए कोई भी राशि देय थी, मान्य नहीं था।यदि सी. एल. पी. ने ऐसा चाहा होता, तो बातचीत के दौरान इसके लिए दावा करने और इसे अनुबंध की अवधि के रूप में शामिल करने से कुछ भी नहीं रोकता।एक बार एक निर्दिष्ट राशि ('53.90 करोड़) के लिए निपटान करने के बाद, जो केवल काल्पनिक रूप से एक ऋण था-और देय ब्याज तय करने के उद्देश्य से, शुल्क नियमों से अधिक इक्विटी को ध्यान में रखते हुए, किसी भी समान वस्तु की अनुपस्थिति, जैसे कि पूर्व अवधि के लिए ब्याज, एक दावे को रोकता है।लेकिन यह वास्तव में इक्विटी घटक का हिस्सा था।इसलिए, ब्याज स्वयं देय नहीं था, लेकिन शुल्क अधिसूचना या समझौते के संदर्भ में भुगतान किया जा सकता था।किसी अन्य कानूनी या न्यायसंगत विचारों पर कोई दावा नहीं किया जा सकता था।इसलिए निचले अधिकारियों के निष्कर्ष ठोस और उचित हैं।

ई.

च

जी.

32. पूर्वगामी विश्लेषण और निष्कर्षों को देखते हुए, दोनों अपीलों को विफल होना पड़ता है।तदनुसार उन्हें लागत पर आदेश के बिना बर्खास्त कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एच.